न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 441/2026

सिया राम यादव वगैरह

बनाम

बिहार सरकार

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता........ श्री उमेश कुमार सिंह।
सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता..... श्री केदारनाथ तिवारी लोक अभियोजक।
सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता...... श्री श्रीमन नारायण ओझा ।

दिनांक– 05.05.2026

तिलक राय का हाता थाना कांड संख्या 23/2026

अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 109, 352, 351(2), 3(5)बी0एन0एस और 27 आर्म्स एक्ट

आदेश

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण सियाराम यादव ,मनीष ठाकुर, भोला यादव, राहुल कुमार यादव और दीपक कुमार यादव ओर से दाखिल किया अग्रिम जमानत आवेदन को सुना गया।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता कहना है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा इस मुकदमें में गलत एवं झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण इससे पहले ए0बी0पी0 न तो माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल किया है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए।

3. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक रमेश यादव का उसकी सूचना में कथन है कि दिनांक 5.3.2026 को करीब समय 12.30 बजे सूचक अपने लड़के के साथ मार्केट जा रहा था सियाराम यादव के घर के ठीक सामने ही उन लोगों ने जान से मारने की कोशिश किया, वह लोग बाल बाल बच गए लेकिन सर में गंभीर चोट आई । सूचक का लड़का जय लाल यादव को भी लाठी और डंडा से मार कर घायल कर दिया और घर की छत के ऊपर से बंदूक लेकर गोली भी चलाने लगे। चार फायरिंग करने के बाद वे लोग सूचक के दरवाजे पर जाकर सूचक की लड़की रंजू कुमारी का भी सर फोड़ दिये. राहुल यादव, मुकेश यादव, सिया राम यादव, भोला यादव, मनीष ठाकुर, दीपक यादव घटना में शामिल थे। सूचक रमेश यादव की सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण के ऊपर सूचक रमेश यादव के पुत्र जय लाल यादव को लाठी डंडा से मार कर घायल करने का इल्जाम है। उनके ऊपर घर के

छत पर से बंदूक लेकर गोली भी चलाने का इल्जाम है। उनके उपर सूचक की लड़की रंजू कुमारी का सर फोड़ने का भी इल्जाम है।सूचक के पुत्र जयलाल यादव को दाहिने पैर और पीठ के उपर के हिस्से पर सिंपल इंजरी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट द्वारा की हुई आयी। जख्मी रंजू कुमारी को माथे/ फारहेड पर सिंपल इंजरी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट द्वारा की हुई आयी। सूचक जख्मी रमेश यादव को राइट पैराइटल रिजन ऑफ स्कैल्प पर सिंपल इंजरी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट द्वारा की हुई आयी। सिर वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी है। सभी आवेदक घटनास्थल पर उपस्थित थे। कांड दैनिकी के पैरा 06 में सूचक रमेश यादव ने पैरा 07 में साक्षी जख्मी जय लाल यादव ने, पैरा 08 में साक्षी जख्मी रंजू कुमारी ने घटना का समर्थन किया और आवेदकगण की संलिप्तता बताईं।

6 आवेदकों का उनके स्वयं के अग्रिम जमानत आवेदन के पैरा 3 में कथन है कि सभी आवेदकों पर तिलक राय का हत्ता थाना कांड संख्या 9/2025 का आपराधिक इतिहास है।

7. कांड दैनिकी के पारा 46 के अनुसार आवेदक दीपक यादव का निम्न आपराधिक इतिहास है–

(1) तिलक राय का हाता थाना कांड सं0–09/25 अंतर्गत धारा–126 (2)/115(2)/109/352/351(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्मस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है परन्तु उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–126 (2)/115(2)/352/351(2)/3(5)/ बी०एन०एस० के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–32/25 दिनांक 20.03.2025 समर्पित किया गया है।

(2) सिमरी थाना कांड सं0–20/24 अंतर्गत धारा–147 /341/323/354(ए)–/379/448/504/506 भा0द0वि0 ।

कांड दैनिकी के पारा 46 के अनुसार आवेदक राहुल यादव का अपराधिक इतिहास निम्न है–

1. तिलक राय का हाता थाना कांड सं0–09/25 अंतर्गत धारा–126 (2)/115(2)/109/352/351(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्मस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है परन्तु उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–126 (2)/115(2)/352/351(2)/3(5)/ बी०एन०एस० के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–32/25 दिनांक 20.03.2025 समर्पित किया गया है।

(2) औद्योगिक थाना कांड सं0–207/21 धारा 30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018

(3) सिमरी थाना काड सं०–20/24 दिनांक–20.01.2024 धारा–147/341/323/354(ए)/379/448/504/506 भा0द0वि0

(4). बलिया (उ०प्र०) दुबहर थाना काड सं0–19/24 धारा–379/411 भा० द० वि०

(5). बलिया (उ०प्र०) दुबहर थाना कांड सं0–37/24 ारा–379/411/413/414/420/भा0द0वि0 एवं 25/3/4 आयुद्ध अधिनियम

(6) बलिया (उ०प्र०) बासडीह रोड थाना कांड सं0–53/24 धारा–379/411

8. कांड दैनिकी के पारा 46 के अनुसार आवेदक सियाराम यादव का अपराधिक ईतिहास निम्न है–

(1). तिलक राय का हाता थाना कांड सं0–09/25 अंतर्गत धारा–126 (2)/115(2)/109/352/351(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्मस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है परन्तु उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–126 (2)/115(2)/352/351(2)/3(5)/ बी०एन०एस० के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–32/25 दिनांक 20.03.2025 समर्पित किया गया है।

(2) सिमरी थाना कांड सं0–715/20 धारा–30 (ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद सशोधित अधिनियम 2018

(3) फेफना बलिया (उ०प्र०) थाना कांड सं0–6/20 धारा–380/457 भा०द०वि०

(4) सिमरी थाना कांड सं0–20/ 24 अंतर्गत धारा–147 /341/323/354(ए)/379/448/504/506 भा0 द0 वि0

9. कांड दैनिकी के पारा 46 के अनुसार आवेदक भोला यादव का अपराधिक इतिहास निम्न है–

(1) तिलक राय का हाता थाना कांड सं0–09/25 अंतर्गत धारा–126 (2)/115(2)/109/352/351(2)/3(5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्मस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है परन्तु उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा–126 (2)/115(2)/352/351(2)/3(5)/ बी०एन०एस० के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–32/25 दिनांक 20.03.2025 समर्पित किया गया है।

(2) सिमरी थाना कांड सं0–20/24 अंतर्गत धारा 147/341/323/354(ए)/379/448/504/506 भा0द0वि0

(3) बलिया (उ०प्र०) दुबहर थाना काड सं0–19 /24 अंतर्गत धारा 379/411 भा0द0वि0

(4) बलिया (उ०प्र०) दुबहर थाना काड सं0–37/24 अंतर्गत धारा–379/411/413/414/420 भा0द0वि0 एवं 25/03 /04 आयुद्ध अधिनियम

(5) बलिया (उ०प्र०) बासडीह रोड थाना कांड सं0–53/24 अंतर्गत धारा 379/411

10. प्राथमिकी में धारा 109 भा0द0वि0 अंकित है जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अपराध गंभीर है। अतः आवेदकों सियाराम यादव ,मनीष ठाकुर, भोला यादव, राहुल कुमार यादव और दीपक कुमार यादव के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेन को खारिज किया जाता है।

(लेखापित व शुद्धित)

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बक्सर।

निर्णय तिथि	05-05-2026
अपलोडिंग की तिथि	06-05-2026
अपलोड द्वारा	Tanuj kumr